

फर्द अहकाम

अंतरदान

बनाम

तहसील 212

नाम न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, दूदू

संख्या - 67/2015

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/11/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रार्थी को आवाज लगाई गई। जिस पर प्रार्थी वकालतन या आसलतन उपस्थित नहीं हुये। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदम-पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> 	